उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
लखनऊ: दिनॉक: 28 जून, 2023

:: कार्यालय ज्ञाप ::

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–21 व 22 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–1222/आठ–3–18–65 विविध/16 टी0सी0 दिनांक 04.08.2018 द्वारा उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर श्री राजीव कुमार को नियुक्ति प्रदान की गयी थी।

2– श्री राजीव कुमार की उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त विनियामक प्राधिकरण में नये अध्यक्ष की नियुक्ति तक श्री तुरामल्ला वेंकटेश, सदस्य, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को सदस्य के साथ–साथ विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के कृत्यों का भी सम्यक रूप से निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा नामित किया जाता है। इसके लिए उन्हें कोई पृथक से वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
8. श्री तुरामल्ला वेंकटेश, सदस्य, उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
11. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
12. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
13. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
14. सचिव, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
15. रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ।
16. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
17. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by अरूणेश कुमार द्विवेदी
Date: 28-06-2023 1?:50:06
Reason: Approved

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव